कॉर्पोरेट अभिशासन

किसी कंपनी के प्रबंधन, उसके निदेशक मंडल, उसके शेयरधारकों साथ ही अन्य हितधारकों के बीच संबंधों का एक समुच्चय "कॉर्पोरेट अभिशासन" कहलाता है. कॉर्पोरेट अभिशासन वह संरचना भी प्रदान करता है जिसके माध्यम से कंपनी के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है, और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने और कार्यनिष्पादन के अनुप्रवर्तन के साधन तय किए जाते हैं.[1] इससे प्राधिकार के साथ-साथ दायित्वों को आबंटित करने और निर्णय लेने के तरीके को परिभाषित करने में सहायता होती है. सुशासन का उद्देश्य निवेशकों और अन्य हितधारकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए परिचालन के सभी क्षेत्रों में जवाबदेही, दक्षता, जिम्मेदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के उच्च स्तर को प्राप्त करना होता है.

विभिन्न नीतिगत और परिचालनगत मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने और उनके उचित नियंत्रण और संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए, नाबार्ड में निदेशक मंडल के अनुमोदन से अनेक समितियों का गठन किया गया है. इन समितियों की कार्यपद्धति और कार्य-निष्पादन की सूचना निदेशक मंडल को एक प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के रूप में आवधिक अंतरालों पर दी जाती है. निदेशक मंडल और इसकी समितियां नाबार्ड में कॉर्पोरेट अभिशासन सिद्धांतों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसा कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है.

निदेशक मंडल

नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सामान्य विनियमावली, 1982 और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 द्वारा शासित होता है. इसके निदेशक मंडल की संरचना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (तालिका 1) के अनुसार की गई है.

निदेशक मंडल, नाबार्ड में निर्णय लेने वाला शीर्षस्थ निकाय है. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 5(1) के अनुसार, नाबार्ड के मामलों और व्यवसाय का सामान्य अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन से संबंधित अधिकार निदेशक मंडल को प्राप्त हैं, जो सभी शक्तियों का उपयोग करता है और नाबार्ड द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य करता है.

तालिका 1: नाबार्ड अधिनियम, 1981 के अनुसार निदेशक मंडल की रचना

नाबार्ड अधिनियम–धारा	*पदनाम*	*संख्या*
6(1)(ए)	अध्यक्ष	1
6(1)(बी)	ग्रामीण अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास, कुटीर और ग्राम उद्योग, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इत्यादि जैसे क्षेत्रों से विशेषज्ञ	3
6(1)(सी)	भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के निदेशक मंडल में निदेशक	3
6(1)(डी)	केंद्र सरकार के अधिकारी	3
6(1)(ई)	राज्य सरकार के अधिकारी	4
6(1)(एफ)	शेयरधारक (आरबीआई, केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले अथवा नियंत्रणाधीन अन्य संस्थानों को छोड़कर)	–
6(1)(जी)	प्रबंध निदेशक	1
6(3)	आरबीआई के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक	2
	कुल संख्या	**17**

[1] भारतीय रिज़र्व बैंक के 'भारत में वाणिज्य बैंकों में अभिशासन पर परिचर्चा प्रपत्र', जून 2020.

सेबी के सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता

सितंबर 2021 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) [सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता (एलओडीआर)] विनियमावली, 2015 ढांचे में संशोधन के अनुसार उन "उच्च मूल्य वाले ऋण सूचीबद्ध निकायों" पर उक्त ढांचे के विनियम 15 से 27 को लागू किया गया था, जिन्होंने अपनी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया है और 31 मार्च 2021 तक जिनकी सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों का बकाया मूल्य ₹500 करोड़ और उससे अधिक का था. इस संशोधन के आधार पर, नाबार्ड "उच्च-मूल्य वाली ऋण सूचीबद्ध निकाय" के रूप में अर्हता प्राप्त करता है और तदनुसार नाबार्ड के लिए विनियम 15 से 27 की प्रयोज्यता 31 मार्च 2023 तक "अनुपालन या स्पष्टीकरण आधार" पर थी, और उसके बाद अनिवार्य आधार पर हो गई. सेबी के निदेशक मंडल ने दिनांक 29 मार्च 2023 को संपन्न अपनी बैठक में कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंडों (अर्थात् एलओडीआर के विनियम 16 से 27) के संबंध में "उच्च मूल्य वाले ऋण सूचीबद्ध निकायों" के लिए "अनुपालन या स्पष्टीकरण" अवधि को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया था, जिसे 15 मार्च 2024 को संपन्न निदेशक मंडल की बैठक में 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है.

तदनुसार, नाबार्ड का प्रबंधन निर्धारित समय के भीतर कॉर्पोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है. वर्तमान में, 13 निदेशक हैं, जिनमें से तीन निदेशक कार्यकारी/ पूर्णकालिक निदेशक हैं और दस निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं (तालिका 1). नाबार्ड, सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 17(1)(ए) का अनुपालन करता है, जिसके तहत निदेशक मंडल में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन रखना आवश्यक होता है, जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए और निदेशक मंडल में कम से कम 50% गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होने चाहिए. निदेशक मंडल के प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, निदेशकों की संख्या, विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र और योग्यताओं के विवरण तालिका 2 में दिए गए हैं.

तालिका 2: निदेशक मंडल के प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, निदेशकों की संख्या, विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र और प्रत्येक निदेशक की योग्यताएं

क्र. सं.	*निदेशक का नाम*	*श्रेणी*	*उपस्थिति*		*अन्य बोर्डों की संख्या जिनमें निदेशक सदस्य हैं*	*विशेषज्ञता के पमुख क्षेत्र/ योग्यताएं*
			*निदेशक मंडल की संपन्न बैठकें**	*उपस्थित बैठकें*		
1.	श्री शाजी के. वी.	अध्यक्ष	6	6	11	कृषि वित्त
2.	डॉ. उर्विश शाह	विशेषज्ञ/ गैर-सरकारी	6	6	1	लेखापरीक्षा और परामर्श
3.	डॉ. एम. डी. पात्रा	आरबीआई के निदेशक	6	5	1	केंद्रीय बैंकिंग
4.	श्रीमती रेवती अय्यर	आरबीआई की निदेशक	6	6	1	लेखापरीक्षा और लेखांकन
5.	डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया	आरबीआई के निदेशक	6	6	6	अध्यापन, शोध, प्रशिक्षण और परामर्श
6.	श्री मनोज आहूजा	केंद्र सरकार के अधिकारी	6	0	शून्य	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)
7.	श्री शैलेश कुमार सिंह	केंद्र सरकार के अधिकारी	6	0	शून्य	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)
8.	डॉ. एम. पी. तंगिराला	केंद्र सरकार के अधिकारी	6	5	2	प्रशासनिक सेवा (आईपी एण्ड टीएएफएस)
9.	श्री विनोद कुमार सुमन	राज्य सरकार के अधिकारी	2	2	शून्य	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)
10.	श्री अशोक बर्नवाल	राज्य सरकार के अधिकारी	6	0	3	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)
11.	श्री गोपाल कृष्ण द्विवेदी	राज्य सरकार के अधिकारी	6	0	शून्य	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)
12.	श्री गोवर्धन सिंह रावत	उप प्रबंध निदेशक	3	3	1	कृषि वित्त
13.	डॉ. अजय के सूद	उप प्रबंध निदेशक	3	2	1	कृषि वित्त

नोट:

1. आईएएस = भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपी एण्ड टीएएफएस = भारतीय डाक एवं दूर संचार लेखा एवं वित्तीय सेवा.
2. * = 'संपन्न बैठकें' इसमें निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या शामिल है.

तालिका 2अ: नाबार्ड बोर्ड के निदेशकों द्वारा धारित अन्य निदेशक पद

क्रम सं.	*निदेशक/कों के नाम*	*अन्य कंपनियों में निदेशक पद की नियुक्ति*	*ऐसी अन्य कंपनियों में हित का स्वरूप*
1	श्री शाजी के वी	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज़ लि.	निदेशक
		बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान	शासी परिषद के सदस्य
		राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान	शासी बोर्ड के सदस्य
		राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य
		नैबवेंचर्स लि.	नामिती निदेशक
		नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्रा. लि.	नामिती निदेशक
		नैबफाउंडेशन	निदेशक
		निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	निदेशक
		इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन	शासी बोर्ड के सदस्य
		एंटरप्रिन्यूरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया	शासी निकाय के सदस्य
		भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान, गुवाहाटी	शासी बोर्ड के सदस्य
2	श्री उर्विश शाह	नवकार इन्स्टीट्यूट	निदेशक
3	डॉ. एम डी पात्रा	बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान	शासी परिषद के सदस्य
4	श्रीमती रेवती अय्यर	भारतीय रिज़र्व बैंक	निदेशक
5	डॉ. रवीन्द्र एच ढोलकिया	अदानी एनर्जी सोल्यूशंस लिमिटेड	स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक
		गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स	स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक
		गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष
		गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन	स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक
		भारतीय रिज़र्व बैंक	स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक
		अदानी ट्रांसमिशन (इंडिया) लिमिटेड	स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक
6	श्री मनोज आहूजा	कोई नहीं	कोई नहीं
7	श्री शैलेश कुमार सिंह	कोई नहीं	कोई नहीं
8	डॉ. एम. पी. तंगिराला	इंडियन बैंक	निदेशक
		जीआईसी आरई	निदेशक
9	श्री विनोद कुमार सुमन	कोई नहीं	कोई नहीं
10	श्री अशोक बर्नवाल	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड	निदेशक
		मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड	निदेशक
		मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम	निदेशक
11	श्री गोपाल कृष्ण द्विवेदी	कोई नहीं	कोई नहीं
12	श्री गोवर्धन सिंह रावत	नैबसमृद्धि फाइनेंस लिमिटेड	नामिती निदेशक
13	डॉ. अजय के सूद	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड	नामिती निदेशक

वित्तीय वर्ष 2024 में निदेशक मंडल में हुए परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान निदेशक मंडल की रचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए (तालिका 3, 4 और 5).

तालिका 3: वित्तीय वर्ष 2024 में शामिल हुए निदेशक मंडल के सदस्य

क्र.सं.	*नाम*	*पदनाम*	*शामिल होने की तिथि*
1.	श्री जी एस रावत	उप प्रबंध निदेशक	6 नवंबर 2023
2.	डॉ. अजय के सूद	उप प्रबंध निदेशक	6 नवंबर 2023
3.	श्री विनोद कुमार सुमन	सचिव, कृषि और किसान कल्याण, उत्तराखंड सरकार	3 जनवरी 2024

तालिका 4: वित्तीय वर्ष 2024 में निदेशक पद से पदमुक्त होने वाले निदेशक मंडल के सदस्य

क्र.सं.	*निदेशक का नाम*	*पदनाम*	*कार्यकाल समाप्ति*
1.	डॉ. बी वी आर सी पुरुषोत्तम	सचिव, कृषि, उत्तराखंड सरकार	16 मई 2023
2.	श्री पी वी एस सूर्यकुमार	उप प्रबंध निदेशक	31 जुलाई 2023
3.	डॉ. शरत चौहान	प्रधान सचिव, वित्त, आयोजना और निवेश अरुणाचल प्रदेश सरकार	18 फरवरी 2024

तालिका 5: वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में शामिल होने वाले और इसी वर्ष कार्यकाल समाप्त होने वाले निदेशक मंडल के सदस्य

क्र. सं.	*नाम*	*पदनाम*	*शामिल*	*कार्यकाल समाप्ति*
1.	डॉ. राम श्रीनिवासन	निदेशक	9 मई 2023	22 मार्च 2024
2.	श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी	सचिव, कृषि और किसान कल्याण, उत्तराखंड सरकार	17 मई 2023	02 जनवरी 2024

वित्तीय वर्ष 2024 में संपन्न निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, नाबार्ड ने सुशासन के सभी निर्धारित मानदंडों का अक्षरश: पालन किया, और निदेशक मंडल और इसकी समितियों ने संगठन की पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित कीं (तालिका 6 और 7).

तालिका 6: निदेशक मंडल की आयोजित की गई बैठकों की संख्या

क्र.सं.	*निदेशक मंडल की बैठक (सं.)*	*बैठकों की तिथि*
1.	251	26 मई 2023
2.	252	25 जुलाई 2023
3.	253	28 अगस्त 2023
4.	254	10 नवंबर 2023
5.	255	13 फरवरी 2024
6.	256	19 मार्च 2024

निदेशक मंडल की समितियाँ

तालिका 7: निदेशक मंडल की समितियों की आयोजित बैठकें

क्र.सं.	*निदेशक मंडल और उसकी समितियां*	*वांछित बैठकें*	*आयोजित बैठकें*
1.	निदेशक मंडल	4	6
2.	कार्यपालक समिति	4	4
3.	लेखापरीक्षा समिति	6	6
4.	जोखिम प्रबंधन समिति	6	6
5.	परिसर समिति	2	2
6.	मानव संसाधन समिति	2	1@
7.	सूचना प्रौद्योगिकीय समिति	2	3
8.	मंजूरी समिति	आवश्यकता आधारित	3
9.	आंतरिक मंजूरी समिति	आवश्यकता आधारित	14

@ मानव संसाधन समिति की बैठक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 02 बार की जानी है, जिसका पालन किया गया.

निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन निदेशक मंडल द्वारा नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 13(3) के तहत किया गया था (तालिका 8).

संदर्भित किए जाने वाले विषयों का संक्षिप्त विवरण:

1. एसीबी निदेश प्रदान करने के साथ-साथ समग्र लेखापरीक्षा कार्यों के संचालन की देखरेख करे. समग्र लेखापरीक्षा कार्यों से आशय है संस्था की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षणों का आयोजन, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सांविधिक/ बाह्य लेखापरीक्षा और निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई.
2. जहाँ तक आंतरिक लेखा परीक्षा का संबंध है, एसीबी, संस्थान में आंतरिक निरीक्षण/ लेखापरीक्षा के कार्य अर्थात् अनुवर्ती कार्रवाई की प्रणाली, इसकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता की समीक्षा करे. एसीबी, धोखाधड़ियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई और हाउसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करे.
3. सांविधिक लेखा परीक्षा के संबंध में, एसीबी रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करे. यह वार्षिक वित्तीय लेखों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाह्य लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत भी कर सकती है.
4. भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों/ चिंताओं की समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई.
5. इंड एएस (भारतीय लेखांकन मानक) के कार्यान्वयन की समीक्षा.
6. बेसल-III मानदंडों के कार्यान्वयन की समीक्षा.
7. जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यान्वयन की समीक्षा.
8. सूचना सुरक्षा (आईएस) लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों की समीक्षा और अनुवर्ती-कार्रवाई.
9. रेटिंग एजेंसियों से विचार-विमर्श.
10. कोई अन्य संबंधित मुद्दे, जिन्हें निदेशक मंडल शामिल करना चाहता हो.
11. सेबी-एओडीआर की अनुसूची 2 के भाग-इ में विनिर्दिष्ट सभी मदें.

तालिका 8: निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की रचना और सदस्यों की उपस्थिति

क्र. सं.	नाम	श्रेणी	संपन्न बैठकें*	बैठकों में उपस्थिति
1.	डॉ. उर्विश शाह, अध्यक्ष, एसीबी	विशेषज्ञ/ गैर सरकारी	6	6
2.	श्रीमती रेवती अय्यर, अध्यक्ष	आरबीआई बोर्ड में निदेशक	6	6
3.	डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया	आरबीआई बोर्ड में निदेशक	6	6
4.	श्री मनोज आहूजा	केंद्र सरकार के अधिकारी	6	0
5.	श्री गोपाल कृष्ण द्विवेदी	राज्य सरकार के अधिकारी	6	0
6.	श्री गोवर्धन सिंह रावत	उप प्रबंध निदेशक	3	3
7.	डॉ. अजय के सूद	उप प्रबंध निदेशक	3	3

नोट:

1. आरबीआई = भारतीय रिज़र्व बैंक
2. *'संपन्न बैठकों' में उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित एसीबी बैठकों की संख्या शामिल है.

निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति

निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन निदेशक मंडल द्वारा नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 13(3) के तहत किया गया था (तालिका 9). संदर्भित किए जाने वाले विषयों का संक्षिप्त विवरण:

1. ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम युक्त निवेशों के एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति तैयार करना. इस प्रयोजन के लिए, आरएमसीबी को उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति (ईआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति और बैंक की अन्य जोखिम समितियों, यदि कोई हों, के बीच प्रभावशाली ढंग से समन्वयन करना चाहिए.
2. बाज़ार जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम-युक्त निवेशों के एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति तय करना.
3. बाज़ार जोखिम मापन, प्रबंधन और रिपोर्टिंग के लिए नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना.
4. यह सुनिश्चित करें कि बाजार जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं (लोगों, प्रणालियों, परिचालनों, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) बैंक की नीति के अनुरूप होती हैं.
5. बाजार जोखिम सीमाओं की समीक्षा करना और उन्हें अनुमोदित करना. इन सीमाओं में खरीदे/ बेचे गए और उपचित पोर्टफोलियो के लिए उत्प्रेरक (ट्रिगर) अथवा हानि-रोध (स्टॉप-लॉस) शामिल हैं.
6. वित्तीय मॉडल की सुदृढ़ता सुनिश्चित करें और बाजार जोखिम की गणना करने के लिए प्रयोग की जाने वाली सभी प्रणालियों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करें.
7. परिचालन जोखिम नीतियां निर्धारित करें और निदेशक मंडल द्वारा सौंपे गए मुद्दों पर निर्णय लें.
8.. पूरे संगठन में परिचालन जोखिम के प्रोफाइलों की समीक्षा करें.
9. परिचालन जोखिम पूंजी पद्धति और उसके परिणामी एट्रिब्यूशन निर्धारित करें.
10. विभिन्न ग्राहकों के रेटिंग मानदंडों का निर्धारण करें और उनकी समीक्षा करें.
11. विभिन्न ग्राहकों/ ग्राहक समूहों के लिए एक्स्पोज़र मानदंडों का निर्धारण करें.
12. तिमाही अंतरालों में ग्राहकों को हुए एक्स्पोज़र की समीक्षा करें.
13. निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित समग्र मानदंडों के अंतर्गत जोखिम उठाने की क्षमता की अभिव्यक्तियों को निर्धारित और अनुमोदित करें.
14. पूरे संगठन में परिचालन जोखिम प्रबंधन की संस्कृति और जागरूकता को सुदृढ़ करना.
15. कोई अन्य मामला जो बोर्ड उसे सौंप सकता है.
16. सेबी-एओडीआर की अनुसूची 2 के भाग-ई में विनिर्दिष्ट सभी मदें.

तालिका 9: निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति की रचना और सदस्यों की उपस्थिति

क्र. सं.	नाम	श्रेणी	संपन्न बैठकें *	बैठकों में उपस्थिति
1.	डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया, अध्यक्ष, आरएमसीबी	आरबीआई बोर्ड में निदेशक	6	6
2.	श्री शाजी के. वी.	अध्यक्ष, नाबार्ड	6	6
3.	श्रीमती रेवती अय्यर	आरबीआई बोर्ड में निदेशक	6	6
4.	श्री मनोज आहूजा	केंद्र सरकार के अधिकारी	6	0
5.	श्री गोपाल कृष्ण द्विवेदी	राज्य सरकार के अधिकारी	6	0
6.	श्री गोवर्धन सिंह रावत	उप प्रबंध निदेशक	3	2
7.	डॉ. अजय के सूद	उप प्रबंध निदेशक	3	2
8.	श्री प्रवीण कुमार गुप्ता@	विशेष आमंत्रिती	6	4

नोट:

1. आरबीआई = भारतीय रिज़र्व बैंक.
2. *'संपन्न बैठकों' में उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित आरएमसीबी बैठकों की संख्या शामिल है.
3. @ आमंत्रिती को गणपूर्ति या कुल संख्या के लिए नहीं माना जाता है.

निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति

निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) का गठन निदेशक मंडल द्वारा 28 मार्च 2023 को नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 13(3) के अंतर्गत आयोजित अपनी 250वीं बैठक में किया गया था, जैसा कि सेबी के सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता विनियमावली, 2015 के विनियम 20 द्वारा अनिवार्य है.

1) एसआरसी की अध्यक्षता करने वाले गैर-कार्यकारी निदेशक का नाम: 30 नवंबर 2023 को आयोजित एसआरसी की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉ. राम श्रीनिवासन (जिन्होंने 22 मार्च 2024 को त्याग-पत्र दे दिया है) ने की थी;
2) अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम: श्री विनोद चंद्रशेखरन, महाप्रबंधक;
3) वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या: लागू नहीं;
4) शेयरधारकों की संतुष्टि के लिए हल नहीं की गई शिकायतों की संख्या: लागू नहीं;
5) लंबित शिकायतों की संख्या: लागू नहीं

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

निदेशक मंडल को नाबार्ड अधिनियम, 1981 के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है. निदेशकों के पारिश्रमिक का निर्णय भी वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा लिया जाता है. इसलिए, यह महसूस किया गया था कि इस समिति की भूमिका निरर्थक है क्योंकि समिति की नियुक्तियों, पारिश्रमिक या अन्य प्रासंगिक पहलुओं में कोई भूमिका नहीं होगी. तदनुसार, सेबी से हमारे दिनांक 22 फरवरी 2023 के राबैं. एफडी/3204/ सीवी/2022-23 द्वारा नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन और संचालन से छूट मांगी गई थी.

अन्य निदेशक मण्डल स्तरीय समितियाँ

उपर्युक्त के अतिरिक्त, नाबार्ड में, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 13(3) के अंतर्गत गठित अन्य बोर्ड स्तरीय समितियाँ भी विद्यमान हैं (तालिका 10).

तालिका 10: 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार सभी बोर्ड-स्तरीय समितियाँ

क्र.सं.	समिति	रचना
1.	कार्यपालक समिति	श्री शाजी के.वी., अध्यक्ष
		श्रीमती रेवती अय्यर
		श्री गोपाल कृष्ण द्विवेदी
		श्री शैलेश कुमार सिंह
		श्री जी एस रावत
		डॉ. अजय के सूद
2.	परिसर समिति	डॉ. अजय के सूद
		श्री जी एस रावत
		श्रीमती रेवती अय्यर
		डॉ. रवि सिन्हा (विशेषज्ञ)
		श्री बी. जी. फर्नांडिस (विशेषज्ञ)
3.	मानव संसाधन समिति	श्री शाजी के. वी.
		डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया
		श्री शैलेश कुमार सिंह
		श्री जी एस रावत
		डॉ. अजय के सूद
4.	सूचना प्रौद्योगिकी समिति	श्री जी एस रावत
		डॉ. अजय के सूद
		श्रीमती रेवती अय्यर
		श्री अशोक बर्नवाल
		श्री एम. जी. अजयन (आईटी विशेषज्ञ)
		श्री अल्लाडा दुर्गा प्रसाद (आईटी विशेषज्ञ)
5.	मंजूरी समिति	श्री शाजी के. वी.
		श्रीमती रेवती अय्यर
		डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया
		श्री मनोज आहूजा
		श्री शैलेश कुमार सिंह
		डॉ. एम. पी. तंगिराला
		श्री अशोक बर्नवाल
		श्री जी एस रावत
		डॉ. अजय के सूद

वित्तीय वर्ष 2024 में वरिष्ठ प्रबंधन में परिवर्तन

श्री जी एस रावत और डॉ. अजय के सूद नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 6(3) के तहत 06 नवंबर 2023 को पूर्णकालिक निदेशक (डीएमडी) के रूप में नाबार्ड के निदेशक मंडल में शामिल हुए.

परिचयात्मक कार्यक्रम और निदेशकों का पारिश्रमिक

स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए परिचयात्मक कार्यक्रमों के विवरण और गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान से संबंधित वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्तीय मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 03 अप्रैल 2019 के नवीनतम पत्र की प्रति नाबार्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है.[2] निदेशक मंडल और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए क्रमशः ₹40,000 और ₹20,000 प्रति बैठक के बैठक शुल्क का भुगतान किया गया. इसके अलावा, समिति की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए क्रमशः ₹5,000 प्रति बैठक का अतिरिक्त बैठक शुल्क भी देय था.

सामान्य शेयरधारक सूचना

₹100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ नाबार्ड की स्थापना की गई थी और दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार इसकी चुकता पूँजी ₹17,080 करोड़ तक पहुंच गई. भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच शेयर पूँजी के संयोजन में संशोधन के फलस्वरूप, आज नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था बन गई है.

संचार के साधन

1. पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नाबार्ड समय-समय पर प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा करता है. त्रैमासिक वित्तीय

[2] https://www.nabard.org/investor-relations.aspx.

परिणाम समाचार पत्रों के साथ-साथ नाबार्ड, बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज और नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज की वेबसाइटों पर भी प्रकाशित किए जाते हैं.

2. आम तौर पर जिन समाचार पत्रों में परिणाम प्रकाशित किए जाते हैं, उनमें *जनसत्ता* (हिंदी), *लोकसत्ता* (मराठी), *फाइनेंशियल एक्सप्रेस* (अंग्रेजी), और *इंडियन एक्सप्रेस* (अंग्रेजी) शामिल हैं.
3. नाबार्ड अपनी वेबसाइट - www.nabard.org पर सभी आवश्यक जानकारी प्रकाशित करता है.

अन्य प्रकटन

1.1. भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेनों पर प्रकटीकरण जिनका सूचीबद्ध निकाय के हितों के साथ व्यापक रूप से संभावित विरोध हो सकता है | **इसे नाबार्ड की लेखापरीक्षित बैलेन्स शीट के लेखा मानक 18 (एएस18) के अंतर्गत शामिल किया गया है.**

2. पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर सूचीबद्ध निकाय द्वारा अननुपालन, स्टॉक एक्सचेंज/ एक्स्चेंजों या बोर्ड या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध इकाई पर लगाए गए दंडों, आक्षेपों का विवरण: **बीएसई द्वारा ₹11,800 का जुर्माना लगाया गया और बाद में इसे माफ कर दिया गया.**
3. सतर्कता तंत्र विसिल ब्लोअर नीति की स्थापना का विवरण और इस बात की पुष्टि कि लेखापरीक्षा समिति तक किसी भी कर्मी को पहुंचने से रोका नहीं गया है: **नाबार्ड के निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए सतर्कता तंत्र स्थापित किया गया है;**
4. अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन और अननिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने का विवरण: **नाबार्ड उन गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में है जो 01 अप्रैल 2025 से अनिवार्य रूप से लागू हो जाएंगी.**
5. वेब लिंक जहां 'मटीरियल' सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति का प्रकटन किया गया है: **'मटीरियल' सहायक कंपनियों के निर्धारण की नीति नाबार्ड की वेबसाइट पर https://www.nabard.org/hindi/auth/writereaddata/File/policy-on-material-subs.pdf पर उपलब्ध है;**
6. संबंधित पक्ष लेनदेनों से निपटने से संबंधित नीति का वेब लिंक: **संबंधित पक्ष लेनदेनों को नाबार्ड की लेखापरीक्षित बैलेन्स शीट के एएस 18 के अंतर्गत शामिल किया गया है. संबंधित पक्ष लेनदेनों से निपटने के लिए नीति को निदेशक मंडल द्वारा 28 मार्च 2023 को संपन्न अपनी 250वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है. इसे नाबार्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है.**
7. पण्य मूल्य जोखिमों और पण्य हेजिंग गतिविधियों का प्रकटीकरण: **नाबार्ड पर लागू नहीं. नाबार्ड की सहायक कंपनियों को पण्यों/ पण्य व्युत्पन्नों में व्यापार करने की अनुमति नहीं है.**
8. विनियम 32(7ए) के तहत विनिर्दिष्ट अधिमान्य आबंटन अथवा योग्य संस्थानों के नियोजन के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग का विवरण: **नाबार्ड पर लागू नहीं है.**
9. प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि कंपनी के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को बोर्ड/ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है: **एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है.**
10. जहां निदेशक मंडल ने बोर्ड की किसी भी समिति की कोई भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था, जिसे संबंधित वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाना अपेक्षित था, तो उसके कारणों के साथ उसका प्रकटन किया जाना चाहिए: **शून्य**.
11. सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा समेकित आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षक को और उस नेटवर्क फर्म/ नेटवर्क इकाई की सभी संस्थाओं को भुगतान की जाने वाली सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क, जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक भी एक हिस्सा है (तालिका 11 और 12).

तालिका 11: नाबार्ड के सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए शुल्क

(राशि ₹ में)

वार्षिक लेखापरीक्षा शुल्क	13,88,000
प्रमाणीकरण के लिए शुल्क	1,38,000
कर लेखापरीक्षा शुल्क	2,77,000
त्रैमासिक सीमित समीक्षा के लिए शुल्क	8,31,000
कुल शुल्क	**26,34,000**

तालिका 12: सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदा किया गया शुल्क

(राशि ₹ में)

सहायक कंपनी	*लेखापरीक्षा शुल्क की श्रेणी*	*शुल्क*
नैबकिसान	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	2,25,000
नैबसंरक्षण	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	45,000
नैबवेंचर	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	40,000
नैबफ़ाउंडेशन	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	47,200
नैबफिन्स	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	6,60,000
	कर लेखापरीक्षा शुल्क	50,000
नैबसमृद्धि	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	2,50,000
नैबकॉन्स	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	2,00,000
	कर लेखापरीक्षा शुल्क	52,500
	जीएसटी लेखापरीक्षा शुल्क	60,000
	लोअर टीडीएस डिडक्शन सर्टिफिकेट असाइनमेंट	1,00,000
	निर्धारण वर्ष 22-23 के लिए फेसलेस स्क्रूटिनी एसेसमेंट की हैंडलिंग	50,000
सहायक कंपनियों द्वारा प्रदत्त कुल शुल्क		**17,79,700**

नाबार्ड और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों को ₹44,13,700 का कुल भुगतान किया गया.

12. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:
    क) वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या – 09
    ख) वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या – 09
    ग) वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या - शून्य
13. सूचीबद्ध निकाय और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा 'उन फर्मों/ कंपनियों को ऋण और अग्रिम जिनमें निदेशक रुचि रखते हैं' का प्रकटीकरण: बशर्ते कि यह आवश्यकता सूचीबद्ध बैंकों को छोड़कर सभी सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू होगी: शून्य
14. वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों को प्रदत्त वेतन और भत्ते.

तालिका 13 : वित्तीय वर्ष 2023-24 में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को प्रदत्त वेतन और भत्ते (₹)

नाम	*मूल वेतन*	*महंगाई भत्ता*	*अन्य*	*कुल*	*अवधि*
श्री शाजी के वी	27,00,000	12,42,000	-	39,42,000	01.04.2023 से 31.03.2024
श्री जी एस रावत*	-	-	-	-	06.11.2023 से 31.03.2024
डॉ. अजय के सूद*	-	-	-	-	06.11.2023 से 31.03.2024
श्री पी वी एस सूर्यकुमार	8,89,500	3,99,690	-	12,89,190	01.04.2023 से 31.07.2023

* भारत सरकार से वेतन निर्धारण प्रतीक्षित है

निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

नाबार्ड की स्थापना और उसका संचालन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 के साथ पठित अतिरिक्त सामान्य विनियमावली, 1984 द्वारा किया जाता है. उच्च मूल्य की ऋण सूचीबद्ध इकाई होने के नाते, कॉर्पोरेट अभिशासन से संबंधित सेबी[सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियमावली, 2015 के विनियम 16-27 के प्रावधान नाबार्ड पर 31 मार्च 2025 तक अनुपालन या स्पष्टीकरण के आधार पर लागू किए गए हैं और उसके बाद अनिवार्य आधार पर लागू होते हैं.

सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम संख्या 17(5) जो 'निदेशक मंडल' से संबंधित है, के अंतर्गत निम्नानुसार प्रावधान करता है :

क) निदेशक मंडल सूचीबद्ध निकाय के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता निर्धारित करेगा.

ख) आचार संहिता में स्वतंत्र निदेशकों के लिए कर्तव्यों को उपयुक्त रूप से उसी प्रकार निर्धारित किया जाएगा जिस प्रकार कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित किया गया है.

उपर्युक्त विनियम के अनुसार निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए तैयार की गई आचार संहिता को निदेशक मंडल द्वारा 28 मार्च 2023 को आयोजित अपनी 250वीं बैठक में अनुमोदित किया गया. हम इसके द्वारा यह सूचित करते हैं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मी, निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता का अनुपालन करते हैं, जिसे वर्ष 2023-24 के लिए उनके द्वारा हस्ताक्षरित वार्षिक घोषणा के माध्यम से प्राप्त किया गया था.

शाजी के. वी.
अध्यक्ष

अनुबंध

अनुबंध I

मेसर्स दीप शुक्ला एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

कॉर्पोरेट अभिशासन पर प्रमाण पत्र

[सेबी (एलओडीआर) की अनुसूची V के भाग ई के अनुसार]

सेवा में,
सदस्य गण,
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
प्लॉट सं. सी-24, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व,
मुंबई - 400051, महाराष्ट्र, भारत.

मैंने, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नाबार्ड द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की उनके लागू होने की सीमा तक जांच की है, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूचीकरण विनियमावली') के तहत विशिष्ट विनियमों में निर्धारित किया गया है.

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है. मेरी जाँच कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक ही सीमित थी. यह न तो नाबार्ड के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है और न ही उनपर मताभिव्यक्ति है.

नाबार्ड की स्थापना और उसका संचालन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 के साथ पठित अतिरिक्त सामान्य विनियमावली, 1984 द्वारा किया जाता है. इस प्रकार, कॉर्पोरेट अभिशासन संरचना और अनुपालन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के तहत विशिष्ट विनियमों की प्रयोज्यता के अनुसार उस हद तक हैं जब तक ये नाबार्ड अधिनियम, 1981 और नाबार्ड सामान्य विनियम, 1982 के साथ पठित अतिरिक्त सामान्य विनियम, 1984 के साथ विरोधाभासी न हों.

कृते : मेसर्स दीप शुक्ला एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
(पियर रिव्यू प्रमाण पत्र सं.: 2093/2022)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14/05/2024

दीप शुक्ला
{प्रोप्राइटर}
एफसीएस : 5652
सीपी सं.5364
यूडीआईएन :एफ005652एफई000364221

अनुबंध II

मेसर्स दीप शुक्ला एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

मार्च 31, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के विनियम 24क के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्य गण,
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
प्लॉट सं. सी-24, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व,
मुंबई - 400051, महाराष्ट्र, भारत.

मैंने नाबार्ड द्वारा, उनपर लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और उत्तम कॉर्पोरेट कार्य प्रणालियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है.

नाबार्ड के बही-खातों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रस्तुत किए गए फॉर्मों और विवरणियों तथा नाबार्ड द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के मेरे उक्त सत्यापन के आधार पर तथा सचिवीय लेखापरीक्षा के आयोजन के दौरान नाबार्ड द्वारा उपलब्ध की गई सूचनाओं के आधार पर, मैं इसके द्वारा यह प्रतिवेदित करता हूँ कि मेरी राय में नाबार्ड ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि नाबार्ड में समुचित निदेशक मंडलीय प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र विद्यमान है:

मैंने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नाबार्ड द्वारा रखी गई बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फॉर्मों और विवरणियों एवं अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसरण में जांच की है:

i) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (नाबार्ड अधिनियम, 1981);
ii) अतिरिक्त सामान्य विनियम, 1984 के साथ पठित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक समान्य विनियमावली, 1982;
iii) कंपनी अधिनियम, 2013 (उक्त अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम यथा संशोधित; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू नहीं)
iv) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत तैयार किए गए यथा संशोधित नियम; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू नहीं)
v) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए यथा संशोधित विनियम और उप-नियम; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू नहीं)
vi) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम-विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारों की सीमा तक; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू सीमा तक)
vii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निम्नलिखित विनियमावली और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं –
    क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू नहीं)
    ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;
    ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू सीमा तक)
    घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू नहीं);
    ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमावली, 2008; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू सीमा तक)
    च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ व्यापार के संबंध में; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू सीमा तक)
    छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू नहीं); और
    ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू नहीं);

मैंने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

क) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू नहीं)

ख) नाबार्ड द्वारा स्टॉक एक्सचेंज यथा एनएसई लिमिटेड के साथ किए गए सूचीकरण करारों के साथ-साथ सेबी [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के तहत लागू विशिष्ट विनियम जो संबंधित अवधियों के लिए यथा लागू हैं.

उपर्युक्त अवधि के दौरान और नाबार्ड में संबंधित अधिकारियों के साथ हमारी चर्चा के आधार पर, हम अपने निम्नलिखित निष्कर्ष और कथन प्रस्तुत करते हैं:

- नाबार्ड की स्थापना और उसका संचालन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 के साथ पठित अतिरिक्त सामान्य विनियमावली, 1984 द्वारा किया जाता है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के अनुसार नाबार्ड को 'उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध निकाय' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसलिए नाबार्ड पर 31 मार्च 2025 तक अध्याय IV के प्रावधान 'अनुपालन अथवा स्पष्टीकरण' लागू होते हैं. तदनुसार नाबार्ड ने विनियम 18 और 19 सहित सेबी एलओडीआर के अंतर्गत कुछ प्रावधानों से छूट के लिए सेबी को आवेदन के माध्यम से आवेदन किया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है.
- इसके अतिरिक्त, नाबार्ड उस सीमा तक कारपोरेट अभिशासन संरचना और अनुपालन अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है जो नाबार्ड अधिनियम और नाबार्ड सामान्य विनियमों के साथ असंगत नहीं है.

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि:

- कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ नाबार्ड के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है.
- सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों के निर्धारण के संबंध में पर्याप्त सूचना दी गई है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट पहले ही भेजे गए, और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है.
  सभी प्रस्ताव अधिकांश निदेशकों की सहमति से पारित किए गए थे.

मैं आगे भी रिपोर्ट करता हूँ कि:

- लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड के आकार और संचालन के अनुरूप नाबार्ड में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रिया मौजूद है.

आगे मैं यह भी सूचित करता हूँ कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऊपर उल्लिखित कानूनों, नियमों, दिशानिर्देशों और मानकों के अनुसरण में नाबार्ड के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली कोई भी विशिष्ट घटनाएं/ कार्रवाइयाँ नहीं हुई.

अस्वीकरण: *कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है. इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर, नाबार्ड की स्थापना और अभिशासन नाबार्ड अधिनियम, 1981 और नाबार्ड सामान्य विनियम, 1982 के साथ अतिरिक्त सामान्य विनियम, 1984 द्वारा किया जाता है. नाबार्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के तहत विशिष्ट विनियमों का उस सीमा तक अनुपालन करता है कि यह नाबार्ड अधिनियम, 1981 और नाबार्ड सामान्य विनियम, 1982 के साथ अतिरिक्त सामान्य विनियम, 1984 के साथ विरोधाभासी नहीं हो.*

कृते : मेसर्स दीप शुक्ला एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
(पियर रिव्यू प्रमाण पत्र सं.: 2093/2022)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14/05/2024

दीप शुक्ला
{प्रोप्राइटर}
एफसीएस : 5652
सीपी सं.5364
यूडीआईएन :एफ005652एफ000364107

सचिवीय रिपोर्ट का अनुलग्नक जो रिपोर्ट का ही एक भाग होगा

सेवा में,
सदस्य गण,
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
प्लॉट सं. सी-24, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व,
मुंबई - 400051, महाराष्ट्र, भारत.

मैं, आगे यह भी कहता हूँ कि सम तिथि की मेरी उक्त रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए.

1) सचिवीय/ सांविधिक अभिलेखों के रख-रखाव की जिम्मेदारी नाबार्ड के प्रबंधन की है. मेरी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन अभिलेखों पर अपना अभिप्राय व्यक्त करना है.
2) मैंने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है.
3) मैंने नाबार्ड के वित्तीय अभिलेखों और बही-खातों की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है.
4) जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ी, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का वर्णन मौखिक रूप से प्राप्त किया है.
5) कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है. मेरी जांच नमूना आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित है और किसी भी अननुपालन के लिए जिम्मेदार नहीं होगी.
6) सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो नाबार्ड की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा नाबार्ड के मामलों को संचालित करने की प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में है.

अस्वीकरण: *कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है. इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर, नाबार्ड की स्थापना और अभिशासन नाबार्ड अधिनियम, 1981 और नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 के साथ अतिरिक्त सामान्य विनियम, 1984 द्वारा किया जाता है. नाबार्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के तहत विशिष्ट विनियमों का उस सीमा तक अनुपालन करता है कि यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 के साथ अतिरिक्त सामान्य विनियमावली, 1984 के साथ विरोधाभासी नहीं हो.*

कृते : मेसर्स दीप शुक्ला एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
(पियर रिव्यू प्रमाण पत्र सं.: 2093/2022)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14/05/2024

दीप शुक्ला
{प्रोप्राइटर}
एफसीएस : 5652
सीपी सं.5364
यूडीआईएन :एफ005652एफ000364197

अनुबंध III

मेसर्स दीप शुक्ला एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसरण में और सेबी के फरवरी 08, 2019 के परिपत्र सं. सीआईआर/ सीएफडी/ सीएमडी1/27/2019 के साथ पठित]

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए "राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)" की वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

हम, दीप शुक्ला एण्ड एसोसिएट्स ने निम्नलिखित की जाँच की:

क) हमें उपलब्ध कराए गए सभी प्रपत्रों व अभिलेखों और नाबार्ड ("उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध निकाय") द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण,
ख) सूचीबद्ध निकाय द्वारा स्टॉक एक्सचेंज/ एक्सचेंजों को की गई फाइलिंग/ प्रस्तुतियां,
ग) सूचीबद्ध निकाय की वेबसाइट,
घ) प्रमाणीकरण के लिए जिन दस्तावेज़ों पर निर्भर किया गया है वे संबंधित दस्तावेज़.

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष ("समीक्षा अवधि") के लिए निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में:
क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (नाबार्ड अधिनियम, 1981);
ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सामान्य विनियमावली, 1982 के साथ पठित अतिरिक्त सामान्य विनियमावली, 1984;
ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") और उसके तहत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश;
घ) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए"), उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा उसके अंतर्गत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश; [समीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं];
ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021; (जिस सीमा तक यथा लागू)

विशिष्ट विनियम, जिनके उपबंधों और उनके अंतर्गत जारी परिपत्रों/ दिशानिर्देशों की जांच की गई, वे निम्नानुसार हैं:-
च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियमावली, 2015 के अनुसार यथा लागू सीमा तक विनियम; विधिवत अद्यतनीकृत हैं;
छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018; (जिस सीमा तक यथा लागू)
ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियमावली, 2011; [समीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं]
झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियमावली, 2018; [समीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं]
ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमावली, 2014; [समीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं]
ट) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमावली, 2008 यथा संशोधित; (जिस सीमा तक यथा लागू)
ठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय और भुनाने योग्य अधिमान्य शेयरों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमावली, 2013; [समीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं]
ड) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियमावली, 2015; (जिस सीमा तक यथा लागू)
ढ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993, यथा संशोधित;
ण) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियमावली, 2022;
त) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यस्थ) विनियम, 2008; [समीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं]
थ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागी) विनियम, 2018; और उसके तहत जारी किए गए परिपत्र/ दिशानिर्देश;

हम इसके द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि, समीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध निकाय की अनुपालन स्थिति नीचे संलग्न है:

क्र. सं.	*विवरण*	*अनुपालन की स्थिति (हां/ नहीं/ लागू नहीं)*	*प्रेक्षण/ प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव की टिप्पणियां*
1.	सचिवीय मानक: सूचीबद्ध निकाय का अनुपालन भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों (एसएस) के अनुसार है.	लागू नहीं	*नाबार्ड की स्थापना और उसका अभिशासन नाबार्ड अधिनियम, 1981 और अतिरिक्त सामान्य विनियमावली, 1984 के साथ पठित नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 द्वारा किया जाता है.*
2.	नीतियों को अपनाना और समय पर अद्यतन करना: • सेबी विनियमों के तहत सभी लागू नीतियों को सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपनाया जाता है. • सभी नीतियाँ सेबी विनियमों के अनुरूप हैं और सेबी द्वारा जारी विनियमों/ परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के अनुसार इनकी समीक्षा की गई है और इन्हें समय पर अद्यतन किया गया है.	हां	*नाबार्ड ने कुछ नीतियों का मसौदा तैयार किया है जबकि कुछ प्रक्रियाधीन हैं.*
3.	वेबसाइट का रखरखाव और प्रकटीकरण: • सूचीबद्ध निकाय एक कार्यात्मक वेबसाइट का रखरखाव कर रही है. • वेबसाइट पर एक अलग खंड के तहत दस्तावेजों/ सूचनाओं का समय पर प्रसार किया गया. • विनियम 27(2) के तहत वार्षिक कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्टों में उपलब्ध कराए गए वेब-लिंक सटीक और विशिष्ट हैं जो वेबसाइट के प्रासंगिक दस्तावेज़ों/ खंड को री-डायरेक्ट करते हैं.	हां	*नाबार्ड की स्थापना और इसका अभिशासन नाबार्ड अधिनियम, 1981 और नाबार्ड सामान्य विनियम, 1982 के साथ पठित अतिरिक्त सामान्य विनियम, 1984 द्वारा किया जाता है.*
4.	निदेशक की अपात्रता: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत कंपनी के किसी भी निदेशक को अपात्र नहीं किया गया.	लागू नहीं	*नाबार्ड में, निदेशकों को नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया गया था और हमारे विचार से, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार कोई भी निदेशक अपात्र नहीं है क्योंकि यह उन पर लागू नहीं होता है.*
5.	सूचीबद्ध संस्थाओं की सहायक कंपनियों से संबंधित विवरणों की जांच करना: क) भौतिक सहायक कंपनियों की पहचान ख) भौतिक के साथ-साथ अन्य सहायक कंपनियों के प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताएं	हां	-
6.	दस्तावेजों का परिरक्षण : सूचीबद्ध निकाय सेबी के विनियमों के तहत निर्धारित रीति के अनुसार रिकॉर्डों का परिरक्षण और रखरखाव कर रही है और सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के तहत विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ो के परिरक्षण और अभिलेखीय नीति के अनुसार अभिलेखों का निपटान कर रही है.	हां	-
7.	कार्यनिष्पादन मूल्यांकन: सूचीबद्ध निकाय ने सेबी विनियमों में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में निदेशक मंडल, स्वतंत्र निदेशकों और समितियों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन किया है.	लागू नहीं	*नाबार्ड की स्थापना और इसका अभिशासन नाबार्ड अधिनियम, 1981 और नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 के साथ पठित अतिरिक्त सामान्य विनियमावली, 1984 द्वारा किया जाता है. तथापि, जहां कहीं भी यह प्रावधान लागू है, नाबार्ड ने उसका अनुपालन किया है.*
8.	संबंधित पक्ष लेनदेन: क) सूचीबद्ध निकाय ने सभी संबंधित पक्ष लेनदेनों के लिए लेखापरीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया है. ख) यदि कोई पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया, तो सूचीबद्ध निकाय को इस बात की पुष्टि के साथ विस्तृत कारण बताना होगा कि क्या लेनदेन को बाद में लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित/ अनुसमर्थित/ अस्वीकार कर दिया गया था.	हां	-

क्र. सं.	*विवरण*	*अनुपालन की स्थिति (हां/ नहीं/ लागू नहीं)*	*प्रेक्षण/ प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव की टिप्पणियां*
9.	घटनाओं या सूचनाओं का प्रकटीकरण: सूचीबद्ध निकाय ने सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 की अनुसूची III के साथ विनियम 30 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक प्रकटीकरण प्रदान किए हैं.	लागू नहीं	*सेबी एलओडीआर का विनियम सं. 30 नाबार्ड पर लागू नहीं है.*
10.	भेदिया व्यापार का निषेध: सूचीबद्ध निकाय विनियम 3(5) और 3(6) सेबी (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियमावली, 2015 का अनुपालन करती है.	हां	-
11.	सेबी या स्टॉक एक्सचेंज (एक्स्चेंजों) द्वारा की गई कार्रवाई, यदि कोई हो: सेबी विनियमों और उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के अंतर्गत न तो सेबी द्वारा और न ही स्टॉक एक्सचेंजों (विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से सेबी द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रियाओं सहित) द्वारा सूचीबद्ध निकाय/ उसके प्रवर्तकों/ निदेशकों/ सहायक कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है.	नहीं	-
12.	अतिरिक्त अननुपालन, यदि कोई हो: सभी सेबी विनियमों/ परिपत्र/ मार्गदर्शी नोट इत्यादि के संदर्भ में कोई भी अतिरिक्त अननुपालन नहीं पाया गया.	नहीं	सभी सेबी विनियमों/ परिपत्र/ मार्गदर्शी नोट इत्यादि के संदर्भ में कोई भी अतिरिक्त अननुपालन नहीं पाया गया.

- उपर्युक्त अवधि के दौरान और नाबार्ड में संबंधित अधिकारियों के साथ हमारी चर्चा के आधार पर, हम अपने निम्नलिखित निष्कर्ष और कथन प्रस्तुत करते हैं:
  नाबार्ड की स्थापना और उसका संचालन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 के साथ पठित अतिरिक्त सामान्य विनियमावली, 1984 द्वारा किया जाता है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के अनुसार नाबार्ड को 'उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध निकाय' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसलिए नाबार्ड पर 31 मार्च 2025 तक अध्याय IV के प्रावधान 'अनुपालन अथवा स्पष्टीकरण' लागू होते हैं. तदनुसार नाबार्ड ने विनियम 18 और 19 सहित सेबी एलओडीआर के अंतर्गत कुछ प्रावधानों से छूट के लिए सेबी को आवेदन के माध्यम से आवेदन किया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है.
  इसके अतिरिक्त, नाबार्ड उस सीमा तक कारपोरेट अभिशासन संरचना और अनुपालन अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है जो नाबार्ड अधिनियम और नाबार्ड सामान्य विनियमों के साथ असंगत नहीं है.
- सूचीबद्ध निकाय ने पिछली रिपोर्टों में किए गए प्रेक्षणों की अनुपालना के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की है.

क्र. सं.	*अनुपालन आवश्यकता (विनियम/ परिपत्र/ दिशानिर्देश जिसमें विशिष्ट खंड भी शामिल है)*	*विनियम/ परिपत्र सं.*	*विचलन*	*की गई कार्रवाई*	*कार्रवाई का प्रकार परामर्श/ स्पष्टीकरण/ दंड/ कारण बताओ नोटिस/ चेतावनी, इत्यादि.*	*उल्लंघन के विवरण*	*दंड की राशि*	*सहभागी कंपनी सचिव के प्रेक्षण/ टिप्पणियाँ*	*प्रबंधन की प्रतिक्रिया*	*अभ्युक्तियाँ*
1.	विभिन्न अनुपालन	पंजीकरण 57(4) और 57(5)	गैर-अनुपालन	बीएसई	दंड	गैर-अनुपालन	-	नाबार्ड को दंड के लिए बीएसई से नोटिस मिला है	जैसा कि प्रबंधन द्वारा समझाया गया है, बीएसई को किया गया छूट संबंधी अभ्यावेदन उनके सक्रिय विचाराधीन है.	-

अस्वीकरण: *कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है. इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर, नाबार्ड की स्थापना और अभिशासन नाबार्ड अधिनियम, 1981 और नाबार्ड सामान्य विनियम, 1982 के साथ अतिरिक्त सामान्य विनियम, 1984 द्वारा किया जाता है. नाबार्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियमावली, 2015 के तहत विशिष्ट विनियमों का उस सीमा तक अनुपालन करता है कि यह नाबार्ड अधिनियम, 1981 और नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 के साथ अतिरिक्त सामान्य विनियमावली, 1984 के साथ विरोधाभासी नहीं हो.*

कृते : मेसर्स दीप शुक्ला एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
(पियर रिव्यू प्रमाण पत्र सं.: 2093/2022)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14/05/2024

दीप शुक्ला
{प्रोप्राइटर}
एफसीएस : 5652
सीपी सं.5364
यूडीआईएन :एफ005652एफ000364175